कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

क्रमांक– 19 / S.W./F-33/2025 देवास, दिनांक–03.04.2025

:0: **आदेश** :0:

01. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (सुश्री रश्मि खुराना) देवास का स्थानांतरण अन्यत्र होने तथा उनके स्थान पर अन्य किसी न्यायाधीश की पदस्थापना न होने से उनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त है। इसके अतिरिक्त इस न्यायिक स्थापना पर पदस्थ श्री प्रियांशु पाण्डे, श्रीमती निकिता वार्ष्णेय पाण्डे एवं कुंवर युवराज सिंह की पदोन्नति व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पद से व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास के पद पर की गई है। श्रीमती दीक्षा मौर्य, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास द्वारा दीर्घकालीन अवकाश उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया है।

02. इसी प्रकार सुश्री निकिता पंवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ की पदोन्नति व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पद से व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के पद पर की गई है। श्रीमती नंदिनी उईके, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद का स्थानांतरण अन्यत्र होने से तथा उनके स्थान पर श्रीमती सोनाली शर्मा की पदस्थापना पदोन्नति के फलस्वरूप की गई है। श्री राजू पन्द्रे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव जिला–देवास का स्थानांतरण अन्यत्र होने तथा उनके स्थान पर अन्य किसी न्यायाधीश की पदस्थापना न होने से उनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त है।

03. उपरोक्तानुसार न्यायाधीशगण के अन्यत्र स्थानान्तरण एवं पदोन्नति के फलस्वरूप की गई पदस्थापना को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें आवंटित सिविल न्यायिक कार्य के सम्बन्ध में आगामी आदेश तक निम्नानुसार सिविल कार्य आवंटित किया जाता है :–

अनु.	न्यायालय का नाम	सिविल कार्य आवंटन का विवरण
01.	श्रीमती दीक्षा मौर्य, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास	कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 51/एस.डब्ल्यू./2024, दिनांक 02.05.2024 की कंडिका क्रमांक 19 (ग्राम न्यायालय, देवास के कार्य को छोड़कर) के बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 08 में वर्णित अनुसार।
02.	श्रीमती चन्द्रा पंवार, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, देवास	कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 51/एस.डब्ल्यू./2024, दिनांक 02.05.2024 की कंडिका क्रमांक 23 के बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 04 में वर्णित अनुसार।
03.	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, देवास	कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 51/एस.डब्ल्यू./2024, दिनांक 02.05.2024 की कंडिका क्रमांक 24 के बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 05 में वर्णित अनुसार।
तहसील – सोनकच्छ		
04.	सुश्री निकिता पंवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ	कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 51/एस.डब्ल्यू./2024, दिनांक 02.05.2024 की कंडिका क्रमांक 36 के बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 08 में वर्णित अनुसार।
05.	श्री शुभम गुप्ता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ	कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 51/एस.डब्ल्यू./2024, दिनांक 02.05.2024 की कंडिका क्रमांक 37 के बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 05 में वर्णित अनुसार।
तहसील – बागली		
06.	सुश्री वीणा अग्निहोत्री प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बागली	कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 51/एस.डब्ल्यू./2024, दिनांक 02.05.2024 की कंडिका क्रमांक 41 के बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 में वर्णित अनुसार। (पूर्व से आवंटित न्यायिक कार्य के अतिरिक्त)

निरन्तर... /2/

तहसील – कन्नौद		
07.	सुश्री उषा उईके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड कन्नौद	कार्य विभाजन आदेश कमांक 51 / एस.डब्ल्यू. / 2024, दिनांक 02.05.2024 की कंडिका कमांक 43 के बिन्दु कमांक 01 लगायत 08 में वर्णित अनुसार। (पूर्व से आवंटित न्यायिक कार्य के अतिरिक्त)
तहसील – खातेगांव		
08.	श्रीमती राधा उईके , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव	कार्य विभाजन आदेश कमांक 51 / एस.डब्ल्यू. / 2024, दिनांक 02.05.2024 की कंडिका कमांक 48 के बिन्दु कमांक 01 लगायत 06 में वर्णित अनुसार। (पूर्व से आवंटित न्यायिक कार्य के अतिरिक्त)

इस न्यायिक जिला स्थापना पर कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड कमशः श्री भारत सिंह कनेल, श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी, श्रीमती निकिता वार्ष्णेय पाण्डे को सिविल कार्य आवंटित नहीं किया जा रहा है। उनके न्यायालय के निर्णय / आदेश से उद्भूत निष्पादन एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियों हेतु श्रीमती दीक्षा मौर्य, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास को अधिकृत किया जाता है। कुंवर युवराज सिंह, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड देवास के न्यायालय के निर्णय / आदेश से उद्भूत निष्पादन एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियों हेतु श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, देवास को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही तहसील न्यायालय सोनकच्छ में पदस्थ श्री दशरथ सिंह भीड़े, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोनकच्छ को सिविल कार्य आवंटित नहीं किया जा रहा है। श्री धरम कुमार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली तथा सुश्री आयुषी मालवीया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बागली को सिविल कार्य आवंटित नहीं किया जा रहा है। सुश्री मालवीया के न्यायालय के निर्णय / आदेश से उद्भूत निष्पादन एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियों हेतु श्रीमती वीणा अग्निहोत्री प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बागली, जिला–देवास को अधिकृत किया जाता है।

इसी प्रकार सुश्री सोनाली शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद को सिविल कार्य आवंटित नहीं किया जा रहा है।

श्री राजू पन्द्रे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव का न्यायालय वर्तमान में रिक्त होने से उनके न्यायालय के निर्णय / आदेश से उद्भूत निष्पादन एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियों हेतु श्रीमती राधा उईके, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव, जिला–देवास को अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

(अजय प्रकाश मिश्र)
प्रधान जिला न्यायाधीश,
देवास (म0प्र0)

निरन्तर.... /3/

पृष्ठांकन कमांक/1219/S.W./F-33/2025 देवास, दिनांक–03 **.04.2025**

<u>प्रतिलिपिः–</u>

01– विशेष न्यायाधीश, (SC & ST Act) देवास.

02– **समस्त** जिला न्यायाधीश, मुख्यालय–देवास एवं तहसील मुख्यालय–सोनकच्छ/ बागली/कन्नौद व खातेगाँव, जिला–देवास (म.प्र.)

03– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड देवास

04– **समस्त** व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड, जिला मुख्यालय–देवास व तहसील मुख्यालय--टोंकखुर्द/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद एवं खातगाँव, जिला–देवास (म.प्र.)

05– प्रस्तुतकार, प्रधान जिला न्यायाधीश, देवास

06– अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, देवास/टोंकखुर्द/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद/खातेगांव की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

07. जुनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, देवास की ओर उक्त आदेश को जिला न्यायालय, देवास की वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश सहित अग्रेषित।

(अजय प्रकाश मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म0प्र0)